सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 25, गुरूवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 17, 2019 *Asvina 25, Thursday, Saka 1941–October 17, 2019*	

भाग-1(क)

नियुक्तियों छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियां ।

आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

आदेश

जयपुर, जुलाई 09, 2019

संख्या प. 25(15)आयु./2001 पार्ट II:–वर्तमान में राज्य में आयुर्वेद औषध निर्माण हेतु अनुज्ञाधारी संस्थाएं अधिक है, जिनका भौगोलिक क्षेत्र वृहद् होने से नियमित, विस्तृत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं हो पा रहा है। विभागान्तर्गत औषध निरीक्षकों के पदों का कम होना भी इसका एक मुख्य कारण है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति के मध्यनजर, नियमित पदों की वृद्वि एवं तत्सम्बन्धी सेवानियमों में प्रावधान होने तक, ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 (1940 का अधिनियम 23) की धारा 33 जी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समस्त जिलों में आयुर्वेद विभागान्तर्गत स्वीकृत सहायक निदेशक, आयुर्वेद विभाग को उनके जिले के क्षेत्राधिकार में पदेन औषध निरीक्षक नियुक्त करती है।

आज्ञा से,
एच.एम.ढाका,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।